2. The selection of these Centres should be based on the recommendations of a specially constituted expert committee.

3. The commitment of the State Government to take over the responsibility should be obtained prior to sanction of the centre.

4. The University should give its commitment to provide the required infrastructural and other support.

5. The Centre should have a core faculty of one Director (Professor scale), two assistant Directors (Reader's scale) and three Project officers (Lecturer's scale). These should be provided in phases after performance appraisal.

6. All faculty positions should be on a contract basis.

7. There should be an Advisory Committee which should include State Government Officers.

8. There should be continuous monitoring and performance evaluation.

9. The UGC should provide funding for starting a journal to disseminate the finding of the Women's Studies Projects.

10. The Cells set up in the colleges have not proved very successful and these may be discontinued.

The Committee has further recommended that 8 Women's studies centres whose performance is found to be satisfactory may be allowed to continue and strengthened further. 5 other centres may be given a lease of life till the end of 1994 and their performance reviewed for taking a decision about their future continuance. There are 9 women's centres which the Review Committee have not been able to visit. A decision about their future continuance can be taken only after visits to these centres are completed.

The recommendations made by the Review Committee will be considered by the UGC Standing Committee on Women's Studies and appropriate action on the matter will be taken by the Commission keeping in view the availability of financial resources.

महिलाओं के लिये विशेष आयोग

1119. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं की समस्याओं के हल के के लिए एक विशेष आयोग का गठन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित आयोग द्वारा कौन-कौन सी समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और उनका निपटान किया जायेगा और क्या इस आयोग को महिलाओं की समस्याओं का निपटान करने के अधिकार प्रदान किए जायेंगे ;

(घ) प्रस्तावित आयोग में किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा और क्या इसे पूर्ण कानूनी अधिकार दिए जायेंगे ;

(ङ) क्या सरकार ने इस आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बजट में कोई प्रावधान किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासव राजेश्वरी): (क) से (च) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में 31-1-1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग

की स्थापना की गई है। इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(क) संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करना ।

(ख) महिलाओं की स्थितियों में सुधार लाने के लिए इन सुरक्षा उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट/सिफारिशें भेजना ।

(ग) संविधान के और महिलाओं को प्रभावित करने वाली अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों का पुनर्वलोकन करना और उपचारी उपायों का सुझाव देना ।

(घ) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण के मामले उठाना ।

(ङ) महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने, नियमों का कार्यान्वयन न किए जाने, नीति विषयक विनिश्चयों का अनुपालन न किए जाने इत्यादि से संबंधित शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों पर स्वप्रेषणा से ध्यान देना।

(च) विशेष अध्ययन, संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान आयोजित करना और आयोजना प्रक्रिया में भाग लेना और परामर्श देना, इत्यादि ।

प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने पर स्वप्रेरणा से ध्यान देते समय, आयोग को किसी मुकदमों की सुनवाई करने वाले एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् किसी भी व्यक्ति को बुलाने और न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए बाध्य करना, किसी भी दस्तावेज की खोज निकालने और पेश करने की मांग करना, शपथपत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सरकारी रिकर्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना, इत्यादि ।

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, आयोग के कार्यकरण के लिए सरकार धनराशि प्रदान करती है और वर्ष 1993-94 के लिए 1.25 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

Private sector participation in job-oriented education in Madhya Pradesh

1120. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any proposals to involve private sector participation in the scheme of job-oriented education specially for backward and tribal areas for handicapped persons in the country, particularly in Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof and outcome of the proposals; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) The Centrally Sponsored Scheme of Vocationalisation of Secondary Education involves the private sector in implementation of vocational courses in privately managed schools; development of curricula; selection of need-based vocational courses ;provision of on-the-job training facilities and through assistance to non-government organisations for non-formal programmes.

The State Governments/Union Territory Administrations are free to select suitable schools for introduction of Vocational Courses for all areas/categories of persons.